30 07/19

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित। SHO से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। वकील सामन श्री भरत जे राठौड़ की दलील है कि प्रकरण में कोई न्यूसेंस वर्तमान में नहीं होने से उनके पूर्व में प्रकरण को ड्रोप किये जाने का निवेदन किया जा चुका है। तथा धारा 133 CrPC के प्रकरण तत्कालिक प्रकृति के होते है। उक्त प्रकरण पुराना हो चुका है। जिसमें वर्तमान में मौके पर कोई लोक न्यूसेंस नहीं होने से प्रकरण में कार्यवाही को ड्रोप किये जाने का निवेदन किया वकील सामन को सुनने व धारा 133 CrPC के प्रावधानों पर मनन के पश्चात प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप की जाती है। तहसीलदार बाली को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में वर्णित निर्माण अवरोध का मौका निरीक्षण करे। तथा मौका निरीक्षण में नाले के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में यदि कोई निर्माण पाया जाता है, तो अब्दुल रहमान प्रकरण में पारित निर्देशों अनुसार कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट पेश करे। आदेश प्रति तहसीलदार बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

SD